

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उ०प्र० जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सलईया-नाथूपुरा, लहचुरा-काशीपुरा, धवर्गा-सिजवाहा, शिवहर एवं कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना में पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु जिला-महोबा में प्रभावित 12.4869 हे० संरक्षित एवं 1.9665 हे० आरक्षित वन भूमि अर्थात् 14.4534 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं पाइप लाइन बिछाने हेतु प्रभावित आरक्षित वन भूमि क्षेत्रफल 1.9665 हे० के सापेक्ष प्राप्त गैर वन भूमि 4.126 हे० क्षेत्र में ग्राम-सालट गैर वन भूमि क्षेत्रफल 4 हे० भूमि वनीकरण (वृक्षारोपण) हेतु प्रबन्धकीय दृष्टि से उपयुक्त हैं।


प्रभासीय वनाधिकारी,
सुदौडा वन प्रभाग, महोबा।